फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती धुलकी — वनाम — विपक्षी : श्री टिलिया

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम — पत्रावली संख्या : 35/21

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 08.11.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के नाम संयुक्त रूप से दर्ज होकर संयुक्त काबिज होकर काश्त करते चले आ रहें हैं। प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात का विधिवत विभाजन नहीं होने से विपक्षीगण को प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात पर निर्माण कार्य करने से रोके जाने से मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं रेकर्ड की स्थिति से बचने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण खातेदार हैं। प्रार्थीगण द्वारा कथन कहा कि विपक्षीगण को प्रार्थनाग्रस्त भूमि का कानूनी रूप से बंटवाडा करने से पूर्व प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात पर निर्माण कार्य करने से रोका जाना आवश्यक हैं। प्रकरण में प्रार्थीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के खातेदार हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति व सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा सुरखण्ड पटवार हल्का आकोला भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. की परिशिष्ट (ए) की आराजी नम्बर 376, 377/1, 378/2, 383, 384, 392, 395, 396, 397, 402/1, 403, 404, 405, 408, 410/1, 410/2, 412 रकबा 14 बीघा भूमि व परिशिष्ट (बी) की आराजी न. 409, 420 रकबा 4 बिस्वा भूमि में भू प्रबन्धन के बाद नये नम्बरान के आधार पर विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 13:46:21 IST
Reason: SelfAttested